

13.5.16


समक पेश हो।

दिनांक

राजपाल
मुखर्जी
इंजीनियर

एन.सी.डी.

13⁵/₁₆ आजमद ५५। के.एम.सी.डी. अगोली में पत्रावली
 शरीरगत एवं उक्ति - 1 स्थाने उपस्थित हुए दोनों पक्षों के
 भी अंत से शरीरगत पत्र किया गया जो आगे के क्रम
 में प्रत्येक पक्षों के शरीरगत का पद (डि.डी) किया जाने
 पर अपनी सह मति से अग्रिम कृत्य गया। इस प्रकार
 द्वारा पत्र किया जो आगे के क्रम में दोनों पक्षों
 की सुवार्ता के पश्चात् शरीरगत का पद शरीरगत
 के अंतर्गत (डि.डी) किया जा रहा है। उक्त पक्षों के हिसाब से
 राजस्व लिमिट में ६४ आगोलीय में से द्वारा के पत्र सं.
 11(अ) के अंतर्गत 1 ही है उक्त शरीरगत 1 से 6 को बना।
 सं. 13 में, शरीर सं. 1, 2 व 4 से 6 को बना। सं. 151, 152, 153, 154,
 155 में 1/7 - 1/7 प्रत्येक को पत्र द्वारा शरीरगत व. कोट कर
 की आगोलीय में खाली का एक एक धरोहर किया जा रहा है, उपर्युक्त
 राजस्व लिमिट में अग्रिम पत्र किया गया पत्र (डि.डी) जारी मजदूरी
 निर्दिष्ट व (डि.डी) के.एम.सी.डी. अगोली में 1 की शेष बचत रुपये
 आगोलीय में उक्त पत्र पत्रावली न. 2 से 2 को अग्रिम होकर 155 तक
 द्वारा एम.सी.डी. की वार्ता


मुख्य अधिकारी
राजस्व विभाग (व.प.प.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....ऊजोली

पीठासीन अधिकारी:- बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

हरिओम आदि.....बनाम.....हंसराज

दावा बाबत.....दावा इशतकरार हक मय दरुस्ती इन्द्राज, हुकमइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88-89-188
राजस्थान काश्त कारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 78/2016

निर्णय दिनांक:- 13-05-2016

वादी की ओर से.....वादीगण मय वकील .की व प्रतिवादी की ओर से.....प्रतिवादी स्वयं... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख....13.05.2016... को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- (1) आराजी हाल खसरा नम्बरान 711/639/0.37, सालिम में प्रतिवादी के हिस्से में से वादीगण 1 से 6 को 6/7 भाग समान हिस्सा का व 56/0.1300, 127/0.2500 मे प्रतिवादी के 1/18 भाग में से वादीगण 1, 2 व वादी सं0 4 से 6 को 5/7 भाग समान हिस्सा का व 182/1.0400 में प्रतिवादी के 1/2 हिस्से में से वादीगण 1, 2 व वादी सं0 4 से 6 को 5/7 भाग समान हिस्सा का, 370/0.0500 में प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा में वादीगण 1, 2 व वादी सं0 4 से 6 को 5/7 भाग समान हिस्सा का, 220/0.0800 में प्रतिवादी के 1/4 हिस्सा में वादीगण 1, 2 व वादी सं0 4 से 6 को 5/7 भाग समान हिस्सा का, 409/0.9400 में प्रतिवादी के 17/37 हिस्सा में वादीगण सं0 4 से 6 को 3/7 भाग समान हिस्सा का, 5/0.3800, 11/0.2600, 60/0.3200, 72/0.1000, 84/0.1400, 85/0.0900, 91/0.2900, 137/0.1400, 204/0.1700, 205/0.5700, 216/0.2500, 250/0.1000, 251/0.0400, 363/0.8400 405/0.4800 421/0.2600, 422/0.3800, 656/428/0.3000, 696/355/0.400, किता 19 रकबा 5.1500 है0 मे प्रतिवादी के हिस्सा में वादीगण 1, 2 व वादी सं0 4 से 6 को 5/7 भाग समान हिस्सा का वाके ग्राम हाजीपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित आराजीयात पर मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व

उप खण्ड अधिकारी


बलवन्तसिंह (अलवर)

खता सं0 155, आराजीयात हाल

रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसर पर्चा डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादीगण को हुकमइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.05.2016....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(बलवन्तसिंह लिग्री)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
कोटकासिम कैम्प कोर्ट ऊजोली

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प | / | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | / |
| 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4.रुपयों पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |